निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -146/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार के माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 07.02.2018 से 17.02.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा नई इकाई द्वारा वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/15 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह 09/15 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्य कर, हरिद्वार
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2015-16	15093.73
2016-17	13190.56

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(क)

प्रस्तर स: 1 – कर का न्यूनारोपण `11.31 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनयम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 12.5% (01.01.2010 से 13.5%) की दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –VI वाणिज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौव्हारी सर्वश्री पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास, बहादराबाद, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा धारा 25(7) के अंतर्गत `11,01,571/- तथा धारा 9(2) के अंतर्गत `1,22,05,883/- कुल राशि `1,33,04,454/- की स्वनिर्मित फ्लोर क्लीनर की बिक्री 5% की दर से की गई थी| जबकि फ्लोर क्लीनर उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आछादित नहीं है|

अत: उक्त की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होना चाहिए था| इस प्रकार अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5 – 5) से `11,31,134/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था| साथ ही नियामानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा गोमूत्र, अर्क, पारन, फिनायल आदि से फ्लोर क्लीनर बना कर बेचा जाता है तथा फ्लोर क्लीनर एक disinfactant होता है जो की फ्लोर पर germs एवं microbus को मारने के कार्य में आता है तथा ये सभी मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अनुसुची – II(B) के क्रमांक 27 पर अंकित श्रेणी pestiside, insectiside के अंतर्गत आता है जिसपर करदेयता 5% की है|

माननिय उच्चतम् न्यायाल द्वारा भी M/s Bombay Chemicals (P) ltd Vs. Collector central excise (1995) 99 STC 339 sc वाद में यह मत प्रतिचादित किया गया है कि Phenyl or disinfectant आदि सभी pesticide की ब्रॉड श्रेणी में आते है|

इकाई का उत्तर निमनाकित आधार पर मान्य नहीं था:-

i. फ्लोर क्लीनर उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसुची – II B के क्रमांक 27 से आछादित नहीं है क्योंकि क्रमांक 27 “Chemical Fertilizer, Micronutrients and Plant Growth promoters / regulators & their herbicides rodenticide, incecticides, weedicides and pesticides” से सम्बंधित है न की फ्लोर क्लीनर से| “फ्लोर क्लीनर” का प्रयोग “stain buster, stain removers” के रूप मैं फ्लोर साफ़ करने के लिए किया जाता है|

ii. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त व्यौव्हारी के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश में फ्लोर क्लीनर की बिक्री पर 13.5% की दर से कर देयता निर्धारित की जा चुकी है| साथ ही व्यौव्हारी सर्वश्री लकषर नानो टेक्नोलॉजी प्र.लि. की कर निर्धारण आदेश वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 मे भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फ्लोर क्लीनर की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की जा चुकी है|

iii. इकाई द्वारा प्रस्तुत M/s Bombay Chemicals P Ltd Vs Collector central excise वाद मे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश मे फ्लोर क्लीनर के सम्बन्ध मे कर देयता का उल्लेख नहीं किया गया है| जबकि M/s Reckitt Benekiser (India) Vs Commissioner दिनांक 17.12.2008 के वाद मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार माननिय उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट से फ्लोर क्लीनर पर 13.5% की करदेयता निर्धारित की गई थी|

अत: `11.31 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण शासन तथा उच्चाधिकारियों के संज्ञान मैं लाया जाता है|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपण `1.99 लाख

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा – 10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म – सी के विरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद किये जाने पर उस वस्तु पर आरोपणीय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –IV वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच मैं पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री लकी टैक्स इंटरनेशनल, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में फार्म – सी के विरुद्ध `9,82,397/- का Transformer, Air Ventilator तथा Silicon Sleev का क्रय रियायती दर पर किया गया था| जबकि केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यौव्हारी उक्त वस्तु की प्रपत्र – सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था | अत: केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत `1,98,935/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संदर्भित वस्तुओं का क्रय करने के लिए व्यापारी अधिकृत है| क्योंकि व्यापारी को जारी पंजीयन में उक्त वस्तुओ का स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है| इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यापारी की गोपनीय पत्रावली में संलग्न पंजीयन प्रमाणपत्र में उक्त वस्तुओ का उल्लेख नहीं किया गया था साथ ही विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स: 2 – अर्थदण्ड का अनारोपण `0.42 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनयम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. गलत / झूटे दावे किये जाने पर न्यूनतम `5000/- या दावाकृत ITC का तीन गुना जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –IV वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौव्हारी सर्वश्री ब्युल्डटेक प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के वाद मैं व्यौव्हारी द्वारा संगत वर्ष में प्रान्त के अन्दर से ख़रीदे गए डीजल `67527/- पर `14180/- के ITC का क्लेम किया गया था| जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियामानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौव्हारी द्वारा गलत ITC क्लेम किये जाने पर उसके विरुद्ध `42,540/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो नहीं किया गया|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि नियामानुसार जाँच कर अवगत करा दिया जायेगा|

प्रकरण विभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-03 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.38 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौव्हारी द्वारा युक्ति – युक्त कारण के बिना स्वीकृत कर के विलंबित जमा पर देय कर का न्यूनतम 10% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –IV वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौव्हारी सर्वश्री अनु इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि `1,38,3985/- को युक्ति युक्त कारण के बिना विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण सलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की धनराशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार `138399/- का न्यूनतम अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा| प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	**व्यापारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की दिनाक तिथि**	**कर की धनराशि**	**आरोपनीय अर्थदण्ड**
1.	सर्वश्री अनु इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2012-13	04/2012	29/06/2012	156653	15665.3
			05/2012	29/06/2012	151705	15170.5
			06/2012	25/08/2012	152441	15244.1
			07/2012	31/08/2012	5835	583.5
			07/2012	31/08/2012	119483	11948.3
			08/2012	22/11/2012	126321	12632.1
			09/2012	27/11/2012	123351	12335.1
			10/2012	31/12/2012	129164	12916.4
			11/2012	31/12/2012	119262	11926.2
			01/2013	09/03/2013	150420	15042.0
			02/2013	26/04/2013	149350	14935.0
Total					**1383985**	**138398.5**

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अरूण कुमार	डप्टी क मश्नर (क0नि0) IV
(ii)	श्री अनुराग मश्रा	डप्टी क मश्नर (क0नि0) IV

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**IV** वा णज्य कर, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -146/**2017-18**

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र